राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
Email: - smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक– रास्कूलशिप / जय / वै.एवं औ.शि. / F- 88 /2022–23/ 1885 दिनांक 14/6/2023

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले

जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले

विषय – राजीव गांधी ग्रामीण एवम् शहरी ओलम्पिक खेल 2023 के आयोजन हेतु जारी की गयी राशि के वितरण एवम् खेल आयोजन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ – युवा मामले एवं खेल विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 13.05.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023–24 की बिन्दु संख्या 43 की पालना में विगत सत्र की भांति राजीव गांधी ग्रामीण एवम् शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जाना है। खेलों के सफल आयोजन हेतु सरकार के निर्देशानुसार युवा मामले एवं खेल विभाग से परिषद कार्यालय को राशि प्राप्त हुई है।

सन्दर्भित पत्रानुसार युवा मामले एवं खेल विभाग से प्राप्त खेल आयोजन की दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। युवा मामले एवं खेल विभाग से प्राप्त राशि को प्रत्येक पीईईओ / यूसीईईओ को न्यूनतम / अधिकतम राशि स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि –

1. **राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेलों की राशि को आप अपने जिले पर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित पीईईओ / यूसीईईओ की संख्या (पत्र के साथ संलग्न) में समान अनुपात से राशि का वितरण करना सुनिश्चित करें।**

संलग्न – दिशा निर्देश एवं पीईईओ / यूसीईईओ की संख्या।

14/6/2023
(डॉ0 मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक – रास्कूलशिप / जय / ASFE / F-88 / 2023–24 / 1885 दिनांक : 14/6/2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, शिक्षामंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना, प्रथम / द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक 12 जून, 2023 को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित पीईईओ / यूसीईईओ की संख्या

क्र0स0	जिला	योग पीईईओ	यूसीईईओ	योग
1	AJMER	325	21	346
2	ALWAR	570	25	595
3	BANSWARA	417	5	422
4	BARAN	232	8	240
5	BARMER	689	5	694
6	BHARATPUR	400	17	417
7	BHILWARA	398	15	413
8	BIKANER	367	13	380
9	BUNDI	184	10	194
10	CHITTAURGARH	299	9	308
11	CHURU	304	14	318
12	DAUSA	286	6	292
13	DHAULPUR	188	8	196
14	DUNGARPUR	353	5	358
15	GANGANAGAR	344	14	358
16	HANUMANGARH	269	9	278
17	JAIPUR	602	54	656
18	JAISALMER	206	4	210
19	JALOR	307	6	313
20	JHALAWAR	254	7	261
21	JHUNJHUNUN	337	12	349
22	JODHPUR	625	24	649
23	KARAULI	241	7	248
24	KOTA	156	21	177
25	NAGAUR	499	13	512
26	PALI	341	14	355
27	PRATAPGARH	235	3	238
28	RAJSAMAND	214	6	220
29	S.MADHOPUR	227	4	231
30	SIKAR	375	12	387
31	SIROHI	170	7	177
32	TONK	236	9	245
33	UDAIPUR	652	12	664
	Grand Total	**11302**	**399**	**11701**

राजस्थान सरकार
युवा मामले एवं खेल विभाग

विषयः– राजीव गॉधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेल–2023 के आयोजन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 की बिन्दु सं. 43 की अनुपालना में ग्राम एवं शहरी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर राजीव गॉधी ग्रामीण एवं शहरी ऑलम्पिक खेल का आयोजन किया जाना है। इसका शुभारम्भ 23 जून, 2023 को प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

ग्रामीण ओलम्पिक खेल

प्रतियोगिता का नाम	अवधि
ग्राम पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	4 दिन
ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	5 दिन
जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	3 दिन
राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	4 दिन

शहरी ओलम्पिक खेल

प्रतियोगिता का नाम	अवधि
नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	6 दिन
जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	3 दिन
राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	4 दिन

इन आयोजन में निम्नलिखित खेलों को सम्मिलित किया गया हैः–

क्र.सं.	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1.	कबड्डी	कबड्डी
2.	टेनिसबॉल किकेट	टेनिसबॉल किकेट
3.	वालीबॉल	वालीबॉल
4.	फुटबॉल	फुटबॉल (पुरूष वर्ग)
5.	खो–खो (महिला वर्ग)	खो–खो (महिला वर्ग)
6.	शूटिंगबॉल (पुरूष वर्ग)	बास्केटबॉल
7.	रस्साकशी (महिला वर्ग)	एथलेटिक्स (100मी., 200मी., 400मी.)

सभी आयु वर्ग के खिलाडी अपना पंजीयन करवाकर खेलों में भाग ले सकते है।

आयोजन का क्षेत्र– ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र एवं नगर निगम क्षेत्र के निवासी होगें।

खेल मैदान– संबंधित क्षेत्र, राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कीडा परिषद के स्टेडियम एवं उपलब्ध खेल मैदानों पर आयोजन किया जाना है।

खेल विभाग का कार्यालय जिला स्तर तक ही है एवं ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कार्यालय नही है, इसलिए इन खेलों के ग्राम एवं ब्लॉक स्तर आयोजन के लिए मुख्यतया जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाना है। इन खेलों के आयोजन हेतु निम्नानुसार आयोजन समिति का गठन किया गया है।

(A) ग्राम पंचायत स्तर पर समितिः—

- सरपंच ग्राम पंचायत — संयोजक
- प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक राजकीय विधालय— सदस्य
- ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत — सदस्य
- पटवारी, ग्राम पंचायत— सदस्य
- शारीरिक शिक्षक— सदस्य

ग्राम पंचायत स्तर समिति के कार्य	• खिलाडियों को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित करना एवं रजिस्ट्रेशन करवाना। • खेलों का प्रचार—प्रसार करना। • रेवेन्यू ग्राम की टीमों का चयन। • रेफरी की व्यवस्था, खेल मैदानों का चिन्हिकरण। • पंचायत स्तर पर खेलों का आयोजन की तैयारी एवं व्यवस्था • आवश्यक खेल उपकरणों का कय। • ग्राम पंचायत स्तर पर खेलकिट का विवरण। • ग्राम पंचायत की टीम का चयन कर गठन करना एवं उनको ब्लॉक स्तर में भाग लेने की व्यवस्था देना। • सांस्कृतिक संध्या तथा राजकीय योजनाओं का प्रचार—प्रसार।

(B) ब्लॉक स्तर पर समितिः—

- उपखण्ड अधिकारी, पंचायती समिति — संयोजक
- उप पुलिस अधीक्षक — सदस्य
- ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति — सदस्य
- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी— सदस्य
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि— सदस्य
- जिला खेल अधिकारी का प्रतिनिधि— सदस्य
- शारीरिक शिक्षक— सदस्य

ब्लॉक स्तर पर समिति के कार्य	• खेलों का प्रचार—प्रसार करना। • ब्लॉक स्तर पर खेलों की तैयारी एवं आयोजन। • आवश्यक खेल उपकरणों का कय। • रेफरी की व्यवस्था, खेल मैदानों का चिन्हिकरण। • तीन सेट खेल उपकरणों का कय। • ब्लॉक स्तर पर एक समय का भोजन एवं पानी की व्यवस्था। • विजेता टीमों को जिला स्तर में भाग लेने की व्यवस्था। • सांस्कृतिक संध्या तथा राजकीय योजनाओं का प्रचार—प्रसार।

(C) नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम स्तर पर समितिः—

- जिला कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी— संयोजक
- E.O.नगर पालिका / CEO — सदस्य
- उप पुलिस अधीक्षक — सदस्य
- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / CDEO— सदस्य
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि— सदस्य
- जिला खेल अधिकारी का प्रतिनिधि— सदस्य

नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम स्तर पर समिति के कार्य	• खिलाडियों को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित करना एवं रजिस्ट्रेशन करवाना तथा खेलों का प्रचार–प्रसार करना। • नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम स्तर पर खेलों का आयोजन की तैयारी एवं व्यवस्था। • रेफरी की व्यवस्था, खेल मैदानों का चिन्हिकरण। • दो सेट खेल उपकरणों का कय। • नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम स्तर पर आयोजन की शुरूआत के समय खेल पोशाक का वितरण। • नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम स्तर पर एक समय का भोजन एवं पानी की व्यवस्था। • विजेता टीमों को जिला स्तर में भाग लेने की व्यवस्था। • सांस्कृतिक संध्या तथा राजकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार।

राजीव गॉधी ग्रामीण एवं शहरी ऑलम्पिक खेल–2023 के आयोजन हेतु शिक्षा विभाग से निम्न अपेक्षाऍ है:–

- पीटीआई / अध्यापकों को स्थानीय ग्रामीण निकाय / नगर निकाय की प्रतियोगिता आयोजन हेतु नियुक्त करना।
- खेलों का ग्राम स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजन की व्यवस्था करवाया जाना। (कुर्सी, टेबिल, टेन्ट, पानी, माईक, चिकित्सा, फलेक्स, चूना, मैदान साफ–सफाई आदि)
- प्रत्येक जिले में प्रर्याप्त डीईओ / शारीरिक शिक्षकों को खेल आयोजन के लिए मॉनिटरिंग / समन्वय हेतु नियुक्त करना एवं पीईईओ को ग्राम पंचायत स्तर के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी ऑफिसर नियुक्त करना।
- खेलों के आयोजन हेतु खेलों की नियमावली के अनुसार किया जाना।
- खेल मैदान चिन्हित कर नियमानुसार तैयार / मार्किंग करवाना।
- प्रतियोगिता में खेल अनुसार रैफरी / एम्पायर की सूची तैयार करना।
- खेल उपकरण कय करना।
- खेल पौशाक का वितरण।
- पीईईओ / सीबीईओ / डीईओ / सीडीईओ को उपरोक्त आयोजन / कार्य हेतु निर्देशित करना।

उक्त व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक बजट यथासमय उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

सभी खिलाडियों के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए https://rajolympic.rajasthan.gov.in पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इस पर कोई भी जनआधार कार्ड का विवरण डालकर, अपना पंजीयन करवा सकता है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक 2023 के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग।

अशा.टीप कमांक प. 11(10)खेल / 2023
जयपुर दिनांक 13.05.2023